मुन्तकिली प्रकरण सं0 86/2017 अनवानी जगतार सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 2 पी. एम. द्वितीय बी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर बनाम स्टेट जरिये उपतहसीलदार, रावला तहसील घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.01.2018

प्रार्थी के अभिभाषक श्री प्रेमचंद सेवटा उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री प्रेमचंद सेवटा का कथन है कि पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर प्रार्थी के विरूद्ध धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम का एक नोटिस क्रमांक 231 दिनांक 31.08.17 उपतहसीलदार रावला द्वारा इस आश्य का जारी किया गया है कि चक 2 पी.एम. द्वितीय बी. के मु0 न0 214/28 के कि0न0 21/02 की 0.017 है0 रकबाराज भूमि है जिस पर प्रार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है क्यों न उसे बेदखल किया जावे। उनका आगे कथन है कि उक्त भूमि कमलादेवी बेवा हजारीराम, अमरसिंह, महावीरप्रसाद, रणजीत सिंह पि0 हजारीराम की खातेदारी भूमि थी तथा उक्त मुरब्बा के कि0न0 21 व 22 का कुछ भाग प्रार्थी के पिता प्रतापसिंह पुत्र केहर सिंह ने जरिये रजि0 बैयनामा दिनांक 30.07.93 से क्रय की हुई है और उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में मकान का निर्माण करवाया और इसमें प्रार्थी का पिता मय परिवार जिसमें प्रार्थी भी शामिल है, में लगातार निवास करते आ रहे है और विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड भी उक्त मकान के पता पर बने हुए है। उनका आगे कथन है कि प्रार्थी को जारी उक्त नोटिस में दर्ज उक्त रकबा उनका खातेदारी का है और कभी भी रकबाराज के रूप में दर्ज नही रहा है। इसलिए प्रार्थी को दिया गया नोटिस गलत है, जो खारिज करने योग्य है किन्तु जब उपतहसीलदार को प्रार्थी ने कार्यवाही समाप्त करने के लिए कहा तो उन्होने स्पष्ट कहा कि वे उसके खिलाफ शीघ्र ही बेदखली करेंगें जबकि यह स्पष्ट है कि उपतहसीलदार द्वारा गलत नोटिस दिया गया है इसलिए उसे न्याय मिलने की संभावना नही है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई एवं निस्तारण के लिए अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपतहसीलदार, रावला के समक्ष लंबित धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम चक 2 पी.एम. द्वितीय बी. के मु0न0 214/28 के कि0 न0 21/02 की 0.017 हैक्टर रकबाराज के संबंध में अतिक्रमण

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

हटाने बाबत दिये गये नोटिस क्रमांक 231 दिनांक 31.08.17 संबंधी कार्यवाही में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र दिनांक 15.09.17 को प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने उपतहसीलदार द्वारा जारी उक्त नोटिस की कार्यवाही को इस आधार पर गलत बताया है कि वे नोटिस में उल्लेखित भूमि के क्रेता की हैसियत से खातेदार है इसलिए उपतहसीलदार को उनके विरूद्ध कार्यवाही नही करनी चाहिए। इस न्यायालय को इस मुन्तकिली प्रा0 पत्र में उपतहसीलदार द्वारा जारी उक्त नोटिस की वैद्यता अथवा अवैद्यता के संबंध में सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार नही है।

चूंकि प्रार्थी के अनुसार उसने नोटिस का जबाब उपतहसीलदार को प्रस्तुत कर दिया है जिस पर निर्णय उपतहसीलदार द्वारा ही किया जाना है। प्रार्थी उक्त मामले में उपतहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। लेकिन प्रार्थी ने मामले के गुण दोष के अलावा अन्य कोई ऐसा ठोस आधार नही बताया है, जिसके आधार पर उपतहसीलदार, रावला के समक्ष लंबित कार्यवाही को अन्यत्र मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत होता हो। ऐसी दशा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपतहसीलदार, रावला को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 24 8.01.18

यह आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर